टीएचडीसीइण्डियालिमिटेड

THDC INDIA LIMITED

वित्त–बजट विभाग, ऋषिकेश

अंतर कार्यालय ज्ञापन

पत्रांक: टीएचडीसी/ऋषि/जीएसटी /20-21/706-12 दिंनाक: 28/09/2020

प्रेषक:	प्रेषित :
उप महाप्रबंधक (वित्त) टीएचडीसी इंडिया लि. ऋषिकेश	उप-महाप्रबंधक (वित्त) टिहरी/कोटेश्वर/ऋषिकेश/पीपलकोटी टीएचडीसी इंडिया लि.

विषय: फार्म सी/एफ एवं प्रारूप–8 के सम्बन्ध में।

जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 01 जुलाई 2017 से GST लागू हुए लगभग 03 वर्ष की समयावधि पूर्ण हो चुकी है। इन तीन वर्षों के दौरान आपको फार्म सी निर्गत करने की तिथि निश्चित की गई थी तथा समय–समय पर फार्म सी निर्गत करने का आवेदन आपके द्वारा निरंतर भेजा जा रहा है। फार्म सी निर्गत करने की तिथि के उपरांत भी विशेष आवेदन एवं अच्छे सम्बन्ध के चलते उपायुक्त राज्यकर से विभिन्न पार्टियों को फार्म सी जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उपायुक्त, राज्यकर (क0नि0) ऋषिकेश से सूचना पत्र सं0 223 दिनांक 23.09.2020 (प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है जिसमें विभिन्न फार्म जारी करने की एक समयसीमा माह अक्टूबर 2020 तय की गई है।

अतः टीएचडीसी की सभी इकाईयों से अनुरोध है कि उक्त फार्म यदि आपके पास लम्बित हो तो कृपया दिनांक 20.10.2020 तक कॉरपोरेट कार्यालय ऋषिकेश में भिजवाने की कृपा करें।

उक्त समयसीमा 20.10.2020 के पश्चात् मांगे गये फार्म पर राज्यकर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी एवं इसके द्वारा निगम की कोई वित्तीय हानि होने पर इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

(एच. चक्रवर्ती)

प्रतिलिपीः

1. अधिशासी निदेशक (टिहरी कॉम्पलैक्स) – आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महाप्रबंधक (परियोजना), पीपलकोटी।
3. तकनीकी सचिव, निदेशक (वित्त) – सूचनार्थ प्रेषित।

223
23/9/20

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)
राज्य कर, ऋषिकेश
Office of Deputy Commissioner-Assessment,
State Tax Department, Rishikesh
E-mail - gstdcrksh@gmail.com

TIN : - 05003639853
M/S THDC LTD.
Address :- THDC COLONY, RISHIKESH

—::सूचना पत्र::—

प्रायः यह देखने में आया है कि आप द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्रपत्र फार्म 11/सी/एफ/प्रारूप–8 एवं अन्य प्रपत्रों से सम्बन्धित निरन्तर मॉग की जा रही है।

आप अवगत हैं कि जी0एस0टी0 लागू हुए 03 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और अब तक आप द्वारा वैट अवधि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों/ऑडिट/बैलेन्स शीट आदि फाईनल कर ली गई होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने वैट एकाउन्ट्स की समीक्षा करते हुए उस अवधियों से सम्बन्धित अवशेष प्रपत्रों की समस्त मॉग एक साथ माह–अक्टूबर 2020 तक करना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपका और इस कार्यालय समय व्यर्थ ना हो।

(एस0एस0 तिरूवा)
उपायुक्त, राज्य कर (क0नि0)
ऋषिकेश।